



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नगीना

दिनांक 19.09.2023

थाना नगीना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 289/23 धारा 498ए/323/376/504
भादवि व 3/4 दहेज अधि0 के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.09.2023 को थाना नगीना पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 289/23 धारा 498ए/323/376/504 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 के वांछित अभियुक्त राजू सिंह पुत्र सुक्के सिंह निवासी मौ0 विष्णोईसराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राजू सिंह पुत्र सुक्के नि0 मौ0 विष्णोईसराय कस्बा व थाना नगीना बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री चन्द्रवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2- हे0का0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने क्षेत्र में की जा रही बैंक चैकिंग के सम्बन्ध में ।

आज दिनांक 19.09.2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा भ्रमणकर अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक/ |जुड की चैकिंग के दौरान ब्जट कैमराए इमरजेंसी अलार्म व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों को चेक कर बैंक सुरक्षा



में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।